न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 63 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/57)
पंजीयन दिनांक– 11.02.2021
निर्णय दिनांक– 06.10.2021

1. श्री जगन्नाथ पिता मांगीलाल धाकड़, निवासी अमरपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री अशोक भट्ट – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अपर कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 374 / 1997 निर्णय दिनांक 22.08.1997

निर्णय

दिनांक 06.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अपर कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 374 / 1997 निर्णय दिनांक 22.08.1997 के विरूद्ध दिनांक 19.07.2019 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के

साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 12.06.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गलियाबावडी की आराजी नम्बर 398/213 में से रकबा 0.49 हैक्टयर अपीलांट श्री जगन्नाथ पिता मांगीलाल धाकड, निवासी अमरपुरा को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत गैर खातेदारी हक से उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा आवंटन की गई। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेंट तहसीलदार, बेगूं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पर पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 374/1997 दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.08.1997 से रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.08.1997 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– ***"विपक्षी द्वारा भू–आवंटन नियमों में दी गई शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को किया गया भू–आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बेगूं उक्त भूमि कब्जे राज. लेकर बिलानाम दर्ज करें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक भट्ट उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 01.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की। अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस ही जारी नही किया गया और भू–आवंटन निरस्त कर दिया जो, विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा न होना, पडत होना, सद्भावी काश्तकार नही होना तथा आवंटन शर्तो की पालना नही होना मानकर आवंटन निरस्त किया जो आश्चर्यजनक है, जबकि इस हेतु रेकार्ड पर कोई प्रमाण नही है। इसके विपरीत अपीलांट द्वारा काफी खर्चा करके व अंग मेहनत करके भूमि को आबाद किया है और आज तक अपीलांट इस पर काबिज है और अपीलांट के विरूद्ध नाजायज कब्जें की कार्यवाही चल रही है तथ सन् 2017 में भी अनाधिकृत कब्जा मान कर कार्यवाही की, सन् 2016 में भी कार्यवाही की गई। इस प्रकार अपीलांट का कब्जा होना प्रमाणित है और अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व रेकार्ड का अवलोकन किये बिना यह निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर (प्रशसन), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.08.1997 से पारित निर्णय

नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.1997 को होना बताया गया, जिसकी अपीलाण्ट को कोई सूचना व जानकारी नहीं दी व दिनांक 10.07.2019 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटन निरस्त होने की बात कही गयी एवं उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 15.07.2019 को नकल प्राप्त हुई जिससे यह अपील निर्धारित अवधि में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर अपीलाण्ट का आवंटन निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 22.06.1997 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह वर्णित किया गया है कि विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। आदेशिका अनुसार विपक्षी के बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताया गया है हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विपक्षी अपीलाण्ट को कोई सूचना–पत्र जारी होने की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परन्तु हम यह पाते है कि अपील मेमों में अपीलाण्ट कलम संख्या 3 में स्वयं यह वर्णित करता है किः–

''इसके विपरीत अपीलाण्ट ने काफी खर्चा करके व अंग मेहनत करके भूमि को आबाद किया है और आज तक अपीलाण्ट इस पर काबिज है और अपीलाण्ट के विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही चल रही है और सन् 2017 में भी अनाधिकृत कब्जा मानकर कार्यवाही की, सन् 2016 में भी कार्यवाही की गई। इस प्रकार अपीलाण्ट का कब्जा होना प्रमाणित है।''

प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं की उक्त प्लीडिंग से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट विवादित भूमि का आवंटी रहा है तथा वर्ष 2016 व 2017 में उक्त आवंटित भूमि पर उसके विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही होना भी वह स्वयं मानता है, अर्थात् अपीलाण्ट को स्वयं को आवंटित भूमि पर यदि उसके विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही हो रही है तो आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 10.07.2019 को उसके दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन अनुसार किस प्रकार होगी जबकि बकौल उसे आवंटित भूमि पर वर्ष 2016 व 2017 में उसके विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही हुई है। स्पष्टतः जब अपीलाण्ट स्वयं यह कहता है कि विवादित भूमि पर 2016 में उसके विरूद्ध नाजाजय कब्जे की कार्यवाही हुई है, इसका आशय यह होता है कि विवादित भूमि का आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी उसे वर्ष 2016 से स्पष्ट रूप से है परन्तु उसके द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में त्रुटिपूर्ण भ्रामक एवं अस्वच्छ हाथों से वर्णन किया है कि उसे सर्वप्रथम पटवारी हल्का से दिनांक 10.07.2019 को जानकारी हुई। अपीलाण्ट जब स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा बकौल उसे वर्ष 2016 से उक्त भूमि उसके नाम नहीं होने व उस पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही होने के तथ्यों के दृष्टिगत उसे वर्ष 2016 से ही कम से कम उसे विवादित आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 22.06.1997 की जानकारी होना स्वाभाविक है। वर्ष 2016 से जब उसे इस आवंटन निरस्तीकरण की जानकारी है तो उसके द्वारा दिनांक 19.07.2019 को अपील प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह 3 वर्ष करीब का विलम्ब है जिसके लिए उसके द्वारा कोई संतोषप्रद आधार नहीं दिये गये हैं, इसके विपरीत अपील मेमों एवं दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में जो तथ्य दिये गये हैं, वे सद्भावी तथ्य नहीं होकर विरोधाभासी तथ्य है एवं बकौल उसके ही उसे आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी वर्ष 2016 से होना प्रमाणित है। ऐसी परिस्थितियों

में अपीलाण्ट के स्वच्छ हाथों से नहीं आने एवं प्रकरण में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण दर्शित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट को बैरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर